



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-118

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313040 दिनांक 08/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Ashok Kumar Meena S/o Kanhaiya Lal Meena एवं KAILASHI DEVI W/o kana ram एवं SANU MEENA D/o kanhaiya lal meena	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामजी लाल	27	45.00 SQ. METER	JDA	KALPNA NAGAR Sector/Block- A	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E- Patta)	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड सं. ए-27 क्षे. 45.00 व.मी. का आवंटन पत्र श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामजी लाल को दिनांक 15.05.2006 जारी कर दिया गया। श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामजी लाल की मृत्यु दिनांक 04.12.2005 को हो गई। श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामजी लाल की सजरा-वंशावली 1. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी स्व० श्री कन्हैया लाल, 2. श्री अशोक कुमार पुत्र स्व० श्री कन्हैया लाल, 3. सुश्री सनु मीणा पुत्री स्व० श्री कन्हैया लाल उपरोक्तानुसार है। आवेदनकर्ता श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी स्व० श्री कन्हैया लाल, श्री अशोक कुमार पुत्र स्व० श्री कन्हैया लाल, सुश्री सनु मीणा पुत्री स्व० श्री कन्हैया लाल द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
---	--	---	----	--------------------	-----	---------------------------------------	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ashok Kumar Meena S/o Kanhaiya Lal Meena एवं KAILASHI DEVI W/o kana ram एवं SANU MEENA D/o kanhaiya lal meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |